

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)  
पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 141/2024/ सरफैसी

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नंबर 203 एवं 204, द्वितीय तल, 'ए विंग' नवभारत एस्टेट, जकारिया, बुन्दर रोड, सेवरी, (वेस्ट) मुम्बई, महाराष्ट्र 400015 शाखा कार्यालय: प्रथम तल, मरुधर प्लाजा, एफ-300, श्याम नगर, न्यू सांगानेर रोड, मेट्रो पिल्लर नंबर 102 के सामने, सोडाला, जयपुर, राजस्थान

.....प्रार्थी

**बनाम**

1. उमेश बारादवार पता- 2, मेन रोड, भुपालपुरा, शास्त्री सर्कल, उदयपुर, एवं ऑफिस पता-शॉप न. 306, कृषि उपज मण्डी, उदयपुर, राजस्थान 313001 एवं प्रोपर्टी पता- शॉप न. 2 ए, भुपालपुरा, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।
2. सुभाष तेली पता-2, मेन रोड, भुपालपुरा, शास्त्री सर्कल, उदयपुर, एवं स्थायी पता-2, शास्त्री सर्कल, गिर्वा, उदयपुर
3. सोनल साहु पता- 2, मेन रोड, भुपालपुरा, शास्त्री सर्कल, उदयपुर, एवं स्थायी पता-12, शिव मार्ग, तेलीवाडा, भामाशाह गली के अन्दर, मेन रोड, उदयपुर, राज.
4. राधादेवी पता-2, मेन रोड, भुपालपुरा, शास्त्री सर्कल, उदयपुर राज. 313001

.....ऋणी/अप्रार्थीगण

**प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002**

उपस्थित: श्री अभिषेक जोशी अधिवक्ता प्रार्थी



**आदेश**

दिनांक.....19-11-2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि कुल 20,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (सुभाष पुत्र श्री हुक्मीचन्द तेली की एक वाणिज्यिक सम्पत्ति दुकान संख्या 2-ए, वाके भुपालपुरा (शास्त्री सर्कल मार्ग) उदयपुर राजस्थान 313001 में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 318 वर्गफीट है, जिसकी सीमाएं:- पूर्व में रास्ता 60 फीट चौड़ा, पश्चिम में हुक्मीचन्द तेली का मकान, उत्तर में पैसेज 4.3 फीट, दक्षिण में धनराज धोबी का मकान) को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 16.04.2024 तक कुल रुपये 22,14,335/- भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भालाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

87

जिला कलक्टर  
उदयपुर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को रूपये 20,00,000/- की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 16.04.2024 तक कुल रूपये 22,14,335/-रूपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्वोरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्वोरिटी इन्ड्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयों को अन्य तथ्यों के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (सुभाष पुत्र श्री हुक्मीचन्द तेली की एक वाणिज्यिक सम्पत्ति दुकान संख्या 2-ए, वाके भुपालपुरा (शास्त्री सर्कल मार्ग) उदयपुर राजस्थान 313001 में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि सभी सम्मिलित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 318 वर्गफीट है, जिसकी सीमाएं :- पूर्व में रास्ता 60 फीट चौड़ा, पश्चिम में हुक्मीचन्द तेली का मकान, उत्तर में पैसेज 4.3 फीट, दक्षिण में धनराज घोबी का मकान) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्मलाये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



(अरविन्द कुमार पोसवाल)  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
उदयपुर